

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 04, शुक्रवार, शाके 1948-अप्रैल 24, 2026 Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, फरवरी 04, 2026

संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1374:-सां. आ. 155/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 72 सपठित नियम 68 के उपबन्धों के प्रावधानान्तर्गत सदस्य पदों पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु परिणामों की घोषणा के **तीन दिवस के भीतर** रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार परिणाम संबंधी दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाए जाने हैं :-

उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग निर्देश जारी करता है कि

1. **संलग्न प्रारूप में निर्वाचित सदस्यों की सूचना मय सॉफ्ट कॉपी। (मंगल फॉन्ट एवं MS Word में)**
2. **प्रारूप 21 (अंतिम परिणाम पत्रक) की एक मूल प्रति।**
3. **प्रारूप 22 (परिणाम की घोषणा) की एक मूल प्रति।**
4. **प्रारूप 23 (निर्वाचन का प्रमाण पत्र) की मूल प्रतिलिपि रसीद।**

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम संबंधी दस्तावेज भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त सभी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं मोहर अंकित हो। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में उक्त परिणाम संबंधी दस्तावेज आयोग को भिजवा दिए गए हैं।

यह आदेश आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 4228 दिनांक 21.10.2019 (सां.आ. 126/2019) को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

राजेश वर्मा,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव।